कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

निर्णय दिनांक :- 15/6/2022

मिसल संख्या –318 / 2021

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

गीता पत्नी हेमन्त कुमार जाति मीणा निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना–पत्र पत्थगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 31 खसरा नं 1108 / 24 रकबा 1.61 है0, खसरा नं 1109 / 24 रकबा 0.65 है0 ग्राम चारनेट तहसील नगरफोर्ट प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। उक्त भूमि का पड़ोसी खातेदार से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार सीमा विवाद नही है।

अतः जमाबन्दी सम्वत **2074–2077** में अंकित खाता संख्या 31 खसरा नं 1108 / 24 रकबा 1.61 है0, खसरा नं 1109 / 24 रकबा 0.65 है0 ग्राम चारनेट तहसील नगरफोर्ट की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार नगरफोर्ट को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000 / – निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

(भारत भूषण गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली